प्रेस नोट दिनांक 27.08.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही- सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 06 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तो की निशादेही पर चोरी का 44.85 कुन्टल सरिया (कीमत करीब 3 लाख 60 हजार रूपये) व 02 इलैक्ट्रानिक चिप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2023 को वादी श्री कुलदीप सिंह पुत्र राजेराम नि0 516A, GF सेक्टर-06, हुड्डा जनपद पानीपत, हरियाणा द्वारा इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान व ऑल ग्रेस डवेलपर्स प्रा0लि0 के कर्मचारीगण नाम पता अज्ञात के विरूद्ध 4.5 टन सरिया कम कर देने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/23 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशन में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 06 शातिर अभियुक्तगण 1. इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी भौरी थाना पहाड़ी जनपद भरतपुर (राजस्थान), 2. अफजाल उर्फ आफताब पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मयूर विहार मीनार मस्जिद के पास डासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद, 3. कोमल उर्फ रोहित पुत्र सतीश निवासी नगला राम कुवर थाना नारकी जनपद फिरोजाबाद, 4. त्रिलोकी पांडेय पुत्र रामधनी पांडेय निवासी दमोदरा थाना गुटनी जिला सिवान (बिहार), 5. वेदान्त पुत्र देवेन्द्र निवासी जोगीपुर निकट चर्च थाना राम नगर जनपद नैनीताल (उत्तराखंड) व 6. गौरव पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे निवासी ग्राम अतरौला थाना हांडिया जनपद प्रयागराज को दिनांक 26.08.2023 व 27.08.23 को भिन्न-भिन्न स्थानो पर दबिश देकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अफजाल उपरोक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में जालसाजी, चोरी, डकैती, बलवा, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट एवं गैगस्टर एक्ट आदि के विभिन्न अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तो की निशादेही पर 44.85 कुन्टल सरिया बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/407/420/34 की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण/पूछताछः- ऑल ग्रेस डेवलपर्स प्रा0 लि0 देहरादून दिल्ली हाईवे बनाने वाली कम्पनी का सरिया खडगपुर पश्चिम बंगाल से रश्मि मैटल्स स्टील फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर रिटको लॉजिस्टिक प्रा0लि0 हरियाणा के ट्रक अशोक लीलैण्ड 18 टायरा सं0 NL01 AG 0591 से दिनांक 12.08.2023 को चला था। जिसमे कुल 41.950 टन सरिया कम्पनी से लॉड हुआ था। ट्रक ड्राईवर इकबाल द्वारा दिनांक 15.08.2023 को समय 19.49 बजे सरिया चोर गिरोह से मिलकर 4.5 टन (45 कुन्तल) कुल कीमत 3 लाख 60000 रूपये का सरिया गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र मे उतार दिया। बाकी माल ड्राइवर इकबाल व अफजाल दोनो साथ-साथ ट्रक लेकर ऑल ग्रेस डेवलपर्स प्रा0लि0 देहरादून दिल्ली हाईवे पर आये। जहाँ पहले से कम्पनी के धर्म कांटे पर कार्यरत वेदान्त व कोमल जो गैंग मे मिले हुए थे। तथा इन्ही के अम्बेहटा चाँद प्लान्ट के धर्म कांटे पर कार्यरत त्रिलोकी पाण्डेय सभी इस सरिया चोरी व धर्म कांटे

मे बरामद दो डिवाइस लगवाकर इसी तरह से ट्रक से सरिया चोरी करते रहे। जब खडगपुर से ऑल ग्रेस डेवलपर्स प्रा0लि0 देहरादून दिल्ली हाईवे का सरिया आता था तो रश्मि मैटल्स स्टील फैक्ट्री के लोडर मुन्शी गौरव पाण्डेय खडगपुर जो खडगपुर मे ही नौकरी करता था। उसके भी सम्बन्ध इस सरिया चोरी गिरोह से थे। जिसके द्वारा सूचना ट्रक डाईवर व सरिया चोर अफजाल और साजिद को सूचना देते थे। जिनके द्वारा सरिया चोरी कर डिवाइस के माध्यम से कम्पनी के धर्म काँटे पर पहुँचकर उसका वजन पूरा कर देते थे। यह सारी प्रक्रिया धर्म काटे मे लगे डिवाईस से वजन की पूर्ती करते थे। और यह पूरा गैंग ट्रक से चोरी किये हुए सरिये को बेचकर रूपये का बटवारा कर लेते थे। इसी तरह से जहाँ भी इन अपराधियो की साट – गाठ जिस कम्पनी मे हो जाती थी वहाँ इस अपराध को कारित कर अवैध धन अर्जित करते थे।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः-

इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी भौरी थाना पहाड़ी जनपद भरतपुर राजस्थान
अफजाल उर्फ आफताब पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मयूर विहार मीनार मस्जिद के पास डासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद
कोमल उर्फ रोहित पुत्र सतीश निवासी नगला राम कुवर थाना नारकी जनपद फीरोजाबाद
त्रिलोकी पांडेय पुत्र रामधनी पांडेय निवासी दमोदरा थाना गुटनी जिला सिवान बिहार
वेदान्त पुत्र देवेन्द्र निवासी जोगीपुर निकट चर्च थाना राम नगर जनपद नैनीताल उत्तराखंड
गौरव पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे निवासी ग्राम अतरौला थाना हांडीयां जनपद प्रयागराज

बरामदगी का विवरण -

चोरी का 44.85 कुन्टल (कीमत करीब 3 लाख 60 हजार)
दो इलेक्ट्रानिक चिप (दो धर्म काँटो से धर्म काँटा मे वजन पूरा दिखाने के लिए धर्म काँटा मे लगा हुआ)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी भौरी थाना पहाड़ी जनपद भरतपुर राजस्थान
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर
अफजाल उर्फ आफताब पुत्र दीन मोहम्मद नि0 मयूर बिहार मीनार मस्जिद के पास डासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद
मु0अ0सं0 0480/2018 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0481/2018 धारा 411, 414 भादवि व 41 सीआरपीसी थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0535/2019 धारा 395, 412 भादवि थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0537/2019 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0539/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0655/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मसूरी ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

कोमल उर्फ रोहित पुत्र सतीश निवासी नगला राम कुवर थाना नारकी जनपद फीरोजाबाद
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

त्रिलोकी पांडेय पुत्र रामधनी पांडेय निवासी दमोदरा थाना गुटनी जिला सिवान बिहार
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

वेदान्त पुत्र देवेन्द्र निवासी जोगीपुर निकट चर्च थाना राम नगर जनपद नैनीताल उत्तराखंड
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

गौरव पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे निवासी ग्राम अतरौला थाना हांडीयां जनपद प्रयागराज

मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

फरार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

साजिद पुत्र मेहंदी हसन निवासी आहार बांगर थाना आहार जनपद बुलंदशहर

मु0अ0सं0 0039/2023 धारा 60 आब0 अधि0 थाना आहार बुलन्दशहर
मु0अ0सं0 0171/2022 धारा 60 आब0 अधि0 थाना आहार बुलन्दशहर
मु0अ0सं0 0875/2019 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर
मु0अ0सं0 0160/2023 धारा 379 / 411 / 407 / 420 / 34 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

प्र0नि0 श्री विशाल श्रीवास्तव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
है0का0 269 भगत सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
का0 2270 पूरन सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
का0 2378 सन्नी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

दिनांकः27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा खनन परिवहन हेतु फर्जी रॉयल्टी बनाने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी रॉयल्टी प्रपत्र तैयार करने की सामग्री-

बरामदः-

01 कम्प्यूटर (जिसमें 01 सीपीयू, 01 LED मॉनिटर, 01 प्रिन्टर, 01 माउस, 01 की-बोर्ड व पावर केविल), 01 एन्डॉइड मोबाइल OPPO, 04 रॉयल्टी पर्ची, 01 एन्डॉइड मोबाइल VIVO, 16 आधार कार्ड, 02 श्रम कार्ड, 03 आयुष्मान कार्ड, 03 पैन कार्ड, 01 वोटर कार्ड, 04 SBI की पासबुक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के प्लेन हाई सिक्योरिटी खनिज परिवहन प्रपत्र, 07 फर्जी खनिज परिवहन प्रपत्र मय 21 हाई सिक्यूरिटी के खाली पेपर व 250 रुपये नकद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की धरपकड़/गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम व खनन विभाग की सयुक्त टीम द्वारा दिनांक 25.08.2023 को चैकिंग के दौरान जब एक ओवरलोड ट्रक चैक किया गया तो ट्रक ड्राइवर ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जब ट्रक को चैक किया गया तो ट्रक से खनन परिवहन रॉयल्टी के प्रपत्र मिले।

इसी क्रम में अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.08.2023 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा खनन विभाग से समन्वय स्थापित कर गहनता से इन प्रपत्रो की जांच कि गयी तो जांच में रॉयल्टी के प्रपत्र फर्जी निकले। इससे राज्य सरकार को राजस्व की अत्याधिक हानि हो रही थी, यह कृत गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही करते हुए फर्जी परिवहन रॉयल्टी प्रपत्रो के आधार पर थाना गंगोह पुलिस टीम व खनन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए फर्जी परिवहन रॉयल्टी प्रपत्र तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुचाने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण 1. सादिक पुत्र सुलेमान निवासी-बोम्बेपुर थाना-प्रतापनगर जिला-यमुनानगर व 2. नसीम पुत्र शौकत अली निवासी-बौम्बेपुर थाना-प्रतापनगर जिला-यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से खनन परिवहन हेतु फर्जी रॉयल्टी प्रपत्र तैयार करने हेतु उपयोग में लाये गये उपकरण 01 अदद कम्प्यूटर (जिसमें एक सीपीयू ,एक LED मोनिटर , 01 प्रिन्टर, 01 माउस, 01 की-बोर्ड व पावर केविल), 01 अदद एन्डॉइड मोबाइल OPPO NO 9729176653 व 250 रुपये नकद व 04 रॉयल्टी पर्ची तथा 01 अदद एन्डॉइड मोबाइल VIVO NO 9053804986 व 16 आधार कार्ड, 02 श्रम कार्ड ,03 आयुष्मान कार्ड, 03 पैन कार्ड, 01 वोटर कार्ड व 4 एस.बी.आई की पासबुक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के प्लेन हाई सिक्योरिटी खनिज परिवहन प्रपत्र, 07 फर्जी खनिज परिवहन प्रपत्र मय हाई सिक्यूरिटी के खाली 21 पेपर बरामद। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 239/2023 धारा 420,467,468,471,भादवि व 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सादिक ने पूछने पर बताया कि मैं पहले ट्रक चालक था, अन्य ट्रक चालको से मेरी अच्छी जान पहचान है। शिवकुमार जो चांदपुर माजरी थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर, हरियाणा का रहने वाला है, से मेरी जान पहचान हो गयी। जो अराईवाला यमुनानगर हरियाणा में जनसेवा केन्द्र चलाता है। जिसने मुझसे कहा था कि अच्छे पैसे कमाने है तो मेरे साथ मिलकर काम कर लो। मैं रॉयल्टी आपको दूगाँ, उनको ट्रक चालको तथा स्टोन क्रेशर मालिको को दे देना, जिससे हम सबको काफी लाभ प्राप्त हो जायेगा। नसीम जनसेवा केन्द्र पर ही फर्जी रॉयल्टी तैयार करने में उसके साथ काम करता था। शिवकुमार व नसीम फर्जी रोयल्टी तैयार कर मुझे दे देते थे। जिनको मैं

सप्लाई कर देता था। जिससे हम सब लोगो को काफी लाभ प्राप्त हो जाता था। हम लोग फर्जी रोयल्टी तैयार करने में पट्टे धारक मोमीन व बिजेन्द्र के नाम से जारी कोरे खनिज परिवहन प्रपत्र का उपयोग करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सादिक पुत्र सुलेमान निवासी-बोम्बेपुर थाना-प्रतापनगर जिला-यमुनानगर
2. नसीम पुत्र शौकत अली निवासी-बौम्बेपुर थाना-प्रतापनगर जिला-यमुनानगर हरियाणा

फरार अन्य सहयोगी अभियुक्तगण:-

1. शिवकुमार पुत्र नामालूम निवासी गाँव चाँद पुर थाना-प्रतापनगर जिला-यमुनानगर हरियाणा
2. मोमिन पुत्र मजिद हसन निवासी मढती परगना फैजाबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर (अनुज्ञापत्र धारक)
3. बिजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद निवासी नीयर गल्स स्कुल असौदा बहादुरगढ संखोल झज्जर हरियाणा (अनुज्ञापत्र धारक)
4. गाडी न0- HR58C3803 का मालिक/डाईवर नाम पता अज्ञात

बरामदगी का विवरण -

- 01 कम्प्यूटर (जिसमें 01 सीपीयू, 01 LED मॉनिटर, 01 प्रिन्टर, 01 माउस, 01 की-बोर्ड व पावर केविल),
- 01 एन्डॉइड मोबाइल OPPO,
- 04 रॉयल्टी पर्ची,
- 01 एन्डॉइड मोबाइल VIVO,
- 16 आधार कार्ड,
- 02 श्रम कार्ड,
- 03 आयुष्मान कार्ड,
- 03 पैन कार्ड,
- 01 वोटर कार्ड,
- 04 SBI की पासबुक,
- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के प्लेन हाई सिक्योरिटी खनिज परिवहन प्रपत्र,
- 07 फर्जी खनिज परिवहन प्रपत्र मय 21 हाई सिक्यूरिटी के खाली पेपर
- 250 रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
श्री नवीन कुमार दास सयुक्त निदेशक, खनन विभाग
डा0 जिया अफरोज, खनन निरीक्षक
व0उ0नि0 श्री मेहरसिंह थाना बेहट जिला सहारनपुर
उ0नि0 श्री प्रवेज कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
का0 95 विक्रान्त, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
का0 2499 हम्बीर, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
का0 2389 नरेश कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर
का0 2547 अजय कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर

दिनांक: 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तो को (विस्फोटक सामग्री) सूतली बम तैयार करते हुऐ किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.08.2023 को मौहल्ला महल नई कस्बा रामपुर मनिहारन से सूतली बम बनाते हुऐ भारी मात्रा मे विस्फोटक सामग्री सहित 04 अभियुक्तगण **1.आरिफ पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, 2. समीर पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, 3. आमिर पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर व 4. शकील पुत्र असगर नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से सूतली बम (बने, अर्दबने, सूतली बम की सामाग्री) बरामद हुई अभियुक्तगण से सूतली बम तैयार करने की सम्बन्ध मे अनुज्ञप्ति मांगी गयी तो बताया कि हमारे पास कोई अनुज्ञप्ति नही है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 252/23 धारा धारा 2/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 5/9 (ख) विस्फोटक अधि0 1884 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर सामूहिक रूप से बताया कि हम चारो पर पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं है दीपावली नजदीक आ रही है हम चारो बाजार से पटाखे बनाने की सामग्री अमनदीप सरदार की दुकान दाल मण्डी पुल के पास नाले की पटरी सहारनपुर से लाते है और चारो व्यक्ति अपने आप यहाँ तैयार करते है और दीपावली से पहले बाजार में आशु भाई कम्बो का पुल मण्डी सहारनपुर को बेच देते है और मुनाफे को चारो व्यक्ति आपस में बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

1. आरिफ पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. समीर पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. आमिर पुत्र सलीम नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. शकील पुत्र असगर नि0 नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 28 कार्टून सूतली बम्ब (कुल 42000 सूतली बम्ब)
- बुलेट बम्ब 50 पेकिंग (कुल 5000 बम्ब)
- बुलेट बम्ब अर्द्धबने 10 kg प्लास्टिक के कट्टे में
- बेरियम 15 kg (आतिशबाजी बनाने का बारूद)सफेद कट्टे में
- गत्ता खाली नल्की बुलेट बम्ब 20 kg
- गत्ता नल्की अखबार लिपटी 10 kg
- अखबारी कटिंग 03 kg
- तुई (चमकीली) 2 kg सफेद कट्टे में

- खाली बम्ब डिब्बे बुलेट बम्ब 50 kg
- बत्ती 07 kg
- सूतली 03 kg
- पेकिंग पन्नी 08 kg
- अखबार कटिंग 25 kg
- खाली गिट्टी अखबार लिपटी सूतली बम्ब 10 kg
- 01 तराजू कांटा व 01 kg का बाँट
- 01 टब प्लास्टिक
- 01 तसला प्लास्टिक
- 02 छलनी प्लास्टिक
- 01 छलना लकड़ी का
- 04 टेप मशीन
- 01 गौंद डिब्बा
- 200 विसिटिंग कार्ड जिनपर EA 5000 सोल लिखा है
- 01 स्टेपलर
- 02 टेप
- 01 चाकू सूतली काटने के लिये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

व0उ0नि0 श्री कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
उप0निरी0 अरविन्दकुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
उप0निरी0 कृष्णपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
का0 688 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
का0 1854 आशीष कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
म0का0 1798 अन्तिम थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक विशाल कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा वारंटी **विपिन पुत्र धीर सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौटनी थाना बडगाँव सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 328/20 धारा 452/323/504/506 भादवि सिविल जज(जू0डी0) न्याययिक मजिस्ट्रेट देवबन्द स0पुर को आज दिनाँक 27.08.23 को ग्राम हसनपुर लोटनी थाना बडगाँव सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. विपिन पुत्र धीर सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौटनी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-</u>

प्र0नि0 श्री विशाल श्रीवास्तव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

उ0नि0 शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

का0 2172 वरुण कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमन क्षेत्राधिकारी सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा दविश देकर एक वारन्टी अभियुक्त- **नोनिश पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम कस्बागढ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित बाद स0—2954/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम को दविश देकर गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

नोनिश पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम कस्बागढ थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1-उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2-है0का0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3-का0 139 मोनू कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।
4- का0 2319 दानवीर सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 27.08.2023</u>

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज दिनांक 27.08.23 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक कल्पना त्यागी, म0का0 562 रीतू, म0का0 1132 सरिता की उपस्थिति में कान्उसलर श्रीमति सुरभी सिंह, मीनू शर्मा, श्रीमान कुलभूषण जैन के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 09 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 08 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये। 01 प्रकरणों मे दोनो पक्ष अनुपस्थित आये। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 01 पक्ष मे समझौता कराकर पत्रावली बन्द की गई। 01 पत्रावली में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1.अफसाना पत्नी इरशाद नि0 बैरून कोटला थाना देवबन्द मो0 9548278422	सादिक पुत्र युसुफ नि0 मौ0 किला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैनी सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.08.2023 को अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त **शाकिब पुत्र अल्लादिया नि0 मौहल्ला शकूरनगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को ग्राम ककराला रत्नाखेडी मोड से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 बोतल रसीला संतरा हरियाणा मार्का बरामद की गयी। अभियुक्त शाकिब के विरूद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कक्ष न0 6 द्वारा वाद संख्या 625/22 सरकार बनाम शाकिब धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर पेशी दिनांक 28.08.23 मे एनबीडब्लू वारण्ट जारी किया गया है। अभियुक्त शाकिब उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 244/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त शाकिब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै मुनाफा कमाने के लिए मै ये शराब हरियाणा से सस्ते दामो मे लाकर मंहगे दामो पर बेच देता हूं। आज भी मै इस शराब को बेचने की फिराक मे खडा था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाकिब पुत्र अल्लादिया नि0 मौहल्ला शकूरनगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 549/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
मु0अ0स0 548/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
मु0अ0स0 158/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
मु0अ0स0 49/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
मु0अ0स0 92/23 धारा 323/504/452 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
मु0अ0स0 244/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 अजब सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1835 संदीप चिकारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **27-08-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैनी सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतबुशेर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.08.2023 को दो नफर वारंटी अभियुक्तो **1. मौ0 चांद पुत्र अलीशेर निवासी मौ0 हबीबगढ लाल मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 506/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 06 जनपद सहारनपुर) **2. साजिद उर्फ पहाडी पुत्र इस्लाम नि0 मौ0 लाल मस्जिद खुगर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 848/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर (मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट सं0 11 जनपद सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया । वारंटी अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

1. मौ0 चांद पुत्र अलीशेर निवासी मौ0 हबीबगढ लाल मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. साजिद उर्फ पहाडी पुत्र इस्लाम नि0 मौ0 लाल मस्जिद खुगर कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
है0का0 478 युसुफ अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
का0 229 अमरदीप चौहान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को मय चोरी की 08 LED लाईट सहित गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.23 को उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद व हेका0 127 विनीत कुमार व का0 2122 लोकेश कुमार के द्वारा एक नफर अभियुक्त वांछित **इसरार पुत्र जरीफ निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर** जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/23 धारा 457/380/411 भादवि मे वांछित चल रहा था को चोरी की 08 LED लाईट सहित कैनरा बैंक के पास कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इसरार पुत्र जरीफ निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त काआपराधिक इतिहासः-

01.मु0अ0सं0 45/22 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना मण्डी जिला स0पुर

02. मु0अ0सं0 46/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जिला स0पुर

03.मु0अ0सं0 261/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी

04.मु0अ0सं0 156/23 धारा 380/457/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

(2) हे0का0 127 विनीत कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

(3) का0 2122 लोकेश कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी गंगोह जिला सहारनपुर के नेतृत्व थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम उ0नि0 अरविन्दकुमार मय का0 1857 राहुल पोसवाल मय का0 782 विपिन नैन द्वारा मुखबिर की सूचना पर देवबन्द रोड शाकुम्भरी आटो एजेन्सी के पास से अभि0 **सूरज पुत्र सुरेन्द्र नि0 मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** को 12 बोतल शराब कैस माल्टा हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 253/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही हेतू मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा बताया कि मै हरियाणा राज्य के कम दामो में शराब लाता हू तथा यहा पर अच्छे दामो में बेचकर मुनाफा कमा लेता हू।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.सूरज पुत्र सुरेन्द्र नि0 मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल शराब कैस माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 134/23 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
मु0अ0सं0 253/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 स0पुर
का0 1857 राहुल पोसवाल थाना रामपुर मनि0 स0पुर
का0 782 विपिन थाना रामपुर मनि0 स0पुर

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ 1.05 कि0ग्रा0 ग्राम तांबे का तार व 02 आरी के ब्लेड, 01 दरांती व 01 चाबी लोहा (बोल्ट खोलने वाली) सहित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 15..06.2023 को वादी श्री महफूज पुत्र इदरीश निवासी नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा उपस्थित थाना आकर एक तहरीर बावत अज्ञात अभियुक्त गणो द्वारा खुद की टयूबवैल से समरसेविल व तार चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 176/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे व थाना प्रभारी नांगल श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.08.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त खालिद पुत्र वलकिश निवासी ग्राम उमाही थाना नागल सहारनपुर को हाईवे खजूरवाला के सामने अण्डर पास के नीचे से गिरफ्तार किया गया जामा तलाशी से अभियक्त के कब्ज से 1 Kg 50 ग्राम तांबे का तार कटा हुआ व दो अदद आरी के ब्लेड एक अदद दरांती (दांते वाली) व एक अदद चाबी लोहा (बोल्ट खोलन वाली) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

खालिद पुत्र वलकिश निवासी ग्राम उमाही थाना नागल सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1 Kg 50 ग्राम तांबे का तार कटा हुआ व दो अदद आरी के ब्लेड एक अदद दरांती (दांते वाली) व एक अदद चाबी लोहा (बोल्ट खोलने वाली)सहित अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
उ0नि0 महेश सिहँ थाना नागल सहारनपुर
है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल सहारनपुर
का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना नांगल सहारनपुर

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर नरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान एक नफर अभियुक्त **अहतशाम पुत्र अबुल हसन नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान रायपुर रोड ईदगाह मिर्जापुर के पास रोक कर तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से **250 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अहतशाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है इसलिए मै पैसे कमाने के लालच में पहली बार विकासनगर से एक अजनबी व्यक्ति से खरीदी थी जिसे आज मैं अपने यहाँ बेचने जा रहा था कि रास्ते में पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

अहतशाम पुत्र अबुल हसन नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

250 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

प्र0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
उ0नि0 भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
का0 2561 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिलासहारनपुर

दिनांक: 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 45 पव्वे अवैध देशी शराब एवं 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 01 अभियुक्तगण **सोनू उर्फ शाहनवाज पुत्र स्व0 मौ0 इकराम निवासी पीर वाली गली नं0-25 निकट अशरफ मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मय 45 पव्वे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का मय 01 चाकू नाजायज के समय 13.10 बजे पी शकूरी मस्जिद पुलिया छोटी नहर पटरी से करीब 30 35 कदम की दूरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 262/23 धारा 60 आबकारी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।

अभि0 सोनू उर्फ शाहनवाज ने पूछताछ में बताया कि साहब मै पढा लिखा नही हूँ जिस कारण अपने खर्चे पूरे करने के लिए ठेके से शराब ले जाकर अपने मौहल्ले में मुनाफे पर बेचकर अपना खर्च चलाता हूँ तथा लोगो को डराने के लिए अपने पास चाकू रख लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सोनू उर्फ शाहनवाज पुत्र स्व0 मौ0 इकराम निवासी पीर वाली गली नं0-25 निकट अशरफ मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

45 पव्वे देशी शराब उ0प्र0 मार्का
01 अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 86/21 धारा 8/20 NDPS Act थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
हे0का0 157 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
का0 07 सुमित वर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से एक लडके को चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25/08/23 की रात्री को थाना मण्डी क्षेत्र में एक लडके को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त कर मु0अ0सं0- 261/23 धारा 307/147/148/149 भादवि पंजीकृत किया गया तथा चाकू से हमला करने वाले 01 नफर अभियुक्त **आकिब पुत्र वसीम निवासी गली नं0 8 पीर वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर** उम्र 20 वर्ष को कमेला की पुलिया के पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- आकिब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा मिर्ची वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर की रहने वाली सना के घर आना जाना था तथा अनस पुत्र फुरकान भी सना के घर आता जाता था। सना के घर आने जाने के कारण अनस मुझसे रंजिश रखने लगा था तथा उसने मुझे धमकी भी दी थी कि तू इसके घर आना जाना बन्द कर दे तथा अब से करीब दो माह पहले अनस ने मुझे इस्लामिया डिग्री कालेज के पास बुलाकर मेरे साथ मारपीट की थी। तभी से ही मै अनस से अपने साथ हुई मारपीट का बदला लेने की फिराक में था। अनस आये दिन मुझे फोन पर धमकी देता था कि साले आजा अन्सारी चौक पर मिल मै तुझे देखूँगा। दिनांक 25/08/23 को भी अनस का मेरे पास फोन आया था तथा मुझे अन्सारी चौक पर बुलाया था तो मैने अपने दोस्त अजमत को फोन करके बुलाया था तथा कैफ को मैने उसके घर से अपने साथ ले लिया था तथा हम तीनो अन्सारी चौक पर पहुँचे तो वहाँ पर अनस मस्जिद के पास खडा था। तभी अनस ने मुझे देखकर मेरे साथ गाली गलौच की तो मुझे व मेरे दोस्तो को गुस्सा आया और मैने और मेरे दोस्तो अजमत और कैफ ने अनस के साथ मारपीट की तथा मैने अपने पास से चाकू निकालकर अनस को मार दिया जिससे अनस घायल होकर गिर पडा तभी अनस के पापा एक दम आ गये तो हम तीनो उन्हे देखकर वहाँ से भाग गये थे और अनस के पापा काफी दूर तक हमारे पीछे भागे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकिब पुत्र वसीम निवासी गली नं0 8 पीर वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
कां0 92 दीपक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
कां0 2199 विष्णु चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः **27-08-2023**

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभूवन सिहं के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 01 नफर अभियुक्त **इन्तजार पुत्र शफीक नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। । अभियुक्त थाना नानौता का सक्रिय अपराधी है । गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 143/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>अभियुक्तगणो का नाम व पता:-</u>

1. **इन्तजार पुत्र शफीक नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।**

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1. 01 अदद अवैध चाकू

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-</u>

1. श्री त्रिभूवन सिहं प्र0नि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. कां0 2424 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 27-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभूवन सिहं के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त **शमसाद पुत्र शफीक नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। । अभियुक्त थाना नानौता का सक्रिय अपराधी है । गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 142/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. **शमसाद पुत्र शफीक नि0 मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।**

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. श्री त्रिभूवन सिहं प्र0नि0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 829 सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. कां0 398 नरदेव सिहं थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।